

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 06/07/2022 15:17 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/01/2012 Date To (दिनांक तक): 31/12/2015
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:00 hrs Time To (समय तक): 17:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/07/2022 Time (समय): 14:39 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 017 Date and Time (दिनांक और समय): 06/07/2022 14:39 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 75 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): मोहल्ला, बास जिला हिसार
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): निरीक्षक अभय सिंह बेल्ट न.657 NNL
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1967 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., डाइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेश कुमार पूर्व सरपंच			1. मोहला,बासHISAR,HARYANA,INDIA
2	संजय		Father's Name: रिछपाल	1. मोहला,बासHISAR,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, (ह0) हिसार मण्डल हिसार। श्रीमान् जी , जांच क्रमांक 02 दिनांक 06.09.2017 हिसार महेंद्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह गांव मोहल्ला तहसील बास जिला हिसार की शिकायत के आधार पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 61/ 57/ 2017-2 चौकसी -II दिनांक 29.08.2017 की अनुपालना में दर्ज रजि0 होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के पृष्ठांकन क्रमांक 11487आई-3/SVB(H) दिनांक 08.09.2017 के अनुसार विरुद्ध श्री सुरेश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत मोहला व संजय पुत्र श्री रिछपाल उर्फ पाला निवासी मोहला, तहसील बास जिला हिसार इस मण्डल में पडताल हेतू प्राप्त हुई थी । जिसमें शिकायतकर्ता ने 8 आरोप लगाये थे उन आरोपों की जांच के दौरान पाया कि 4 आरोपों बारे सुरेश कुमार तत्कालीन सरपंच गांव मोहला के खिलाफ अभियोग 97/2017 व 46/2019 थाना बास जिला हिसार में पहले से ही दर्ज हैं बाकी 4 आरोपों में से 1 आरोप सिद्ध नहीं होना पाया व 3 आरोप जो सिद्ध हुये हैं उनमें आरोप था कि उक्त सुरेश कुमार सरपंच गांव मोहला द्वारा अपने खुद की निजी भूमि में पीने के पानी की सप्लाई के लिये टयुबवैल व पाईप लाईन बिछवाई गई । जबकि टयुबवैल लगवाने व पाईप लाईन बिछवाने से पहले निजी भूमि को पंचायत के नाम नहीं करवाया गया । बिना किसी आदेश के निजी भूमि पर टयुबवैल व पाईप लाईन लगकर लाखों रुपये का गबन किया हुआ है । ग्राम पंचायत प्रस्ताव न० 1 दिनांक 12.06.2012 बिल न0 861 दिनांक 05.06.2012 राशी 448102 रुपये व ग्राम पंचायत प्रस्ताव न 01 दिनांक 22.07.2012 बिल न0 898 दिनांक 19.7.2012 राशी 97700, प्रस्ताव न0 1 दिनांक 28.07.2012 राशी 26500 बिल न0 906 दिनांक 25.07.2012 राशी 26500, प्रस्ताव न0 1 दिनांक 12.06.2012 बिल न0 865 राशी 100672 रुपये , रतन मशीनरी स्टोर जीद , प्रस्ताव न0 1 दिनांक 07.11.12 बिल न0 4824 दिनांक 7.11.12 राशी 354586 रुपये, प्रस्ताव न0 2 दिनांक 24.11.12 बिल न0 4836 दिनांक 22.11.12 राशी 139053 रुपये कालीरावण हाईवेयर स्टोर हांसी को अयादगी दिया हुआ है । प्रस्ताव न0 1 दिनांक 24.11.12 चैक न0 19154 से पाईप लाईन बिछवाने की मजदूरी 100000/- रुपये अदा की गई है । जो निजी भूमि वाला टयुबवैल ना तो सरकार के खाते में है । ना ही ग्राम पंचायत के खाते में है । ऐसे टयुबवैल पर संजय पुत्र रिछपाल गांव मोहला को निजी भूमि वाले टयुबवैल पर पंप आपरेटर के नाम से रशीद न0 18 दिनांक 06.03.2015 राशी 144000 रुपये दूसरी रशीद न0 21 दिनांक 02.04.2015 राशी

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

8000 रुपये व रशीद न0 23 दिनांक 18.06.2015 राशी 16000 रुपये पम्प आपरेटर के नाम से दी हुई है। जबकि संजय पुत्र रिछपाल गांव में नहीं रहता है। जबकि सरकारी टयुबवैल ही नहीं तो निजी भूमि वाले टयुबवैल पर पम्प आपरेटर लगाकर के लाखों रूप्यों कर गमन किया हुआ तथा उक्त सुरेश कुमार द्वारा जगदीश पुत्र बारू को ग्राम पंचायत प्रस्ताव नं0 2 दिनांक 25.06.2013 को प्रस्ताव दिया गया कि उपरोक्त को सरकारी टयुबवैल पर वर्ष 2011-12 से पंप आपरेटर लगाया जाता है और जो प्रस्ताव दिया है व पिछली दो साल के बाद दर्ज किया गया है। और लिखाई भी आपस में नहीं मिलती है। रशीद न0 3 राशी 72000 रुपये, रशीद न0 4 राशी 72000 रुपये रशीद न 05 राशी 72000 रुपये, रशीद न0 6 राशी 77000 रुपये रशीद न0 7 राशी 33000 रुपये, रशीद न0 8 राशी 44000 रुपये, रशीद न 09 राशी 22000 रुपये रशीद न0 10 राशी 11000 रुपये, रशीद न0 11 राशी 22000 रुपये, रशीद न0 12 राशी 22000 रुपये, रशीद न0 13 राशी 33000 रुपये कुल राशी 430000 रुपये पंप आपरेटर के नाम से अयादगी की हुई है। जबकि उपरोक्त पम्प आपरेटर गांव में नहीं रहता है। कही बाहर गाडी चलाता है। जो कि रशीद न0 3 से रशीद नं0 13 तक सारे रशीद एक ही लिखाई में व एक ही पंचायत मेम्बर का अगूठा सारी रसीदों पर लगा हुआ हैं। पूरे 5 वर्ष एक ही पंच हाजिर था सारी रसीद फर्जी प्रतीत होती है। रसीद व ग्राम पंचायत प्रस्ताव आपस में मिलान नहीं होता है। सारी फर्जी रसीद बनाकर सरकारी पैसे का गमन किया हैं। इसके अतिरिक्त उक्त सुरेश कुमार द्वारा बिल न0 302 दिनांक 20.01.2012 राशि 239592 रुपये को केश बुक में 339599 रुपये दर्शाया गया है जो की सीदा 100000 रुपये का गबन है। पड़ताल के दौरान पाया गया कि टयुबवैल से पाईप लाईन बिछाने व कृषि इंजीनियर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (ह0) पंचकुला से टयुबवैल लगाने का खर्च कुल 930484/ रुपये बनता है परन्तु पूर्व सरपंच सुरेश कुमार द्वारा टयुबवैल व पाईप लाईन बारे खरीदे गये सामान की कुल कीमत 11,66,613/ रुपये दर्शाई गई हैं व टयुबवैल से गांव तक तथा गांव की गलियों में बिछाई गई पाईप लाईन की खुदवाई व दबवाई हेतु पूर्व सरपंच सुरेश कुमार द्वारा भरवाये गये मस्ट्रोल अनुसार कुल मजदूरी पी0आर0आई0टी0एफ0सी0 स्कीम से 299410/ रुपये दर्शाई गई है। इस प्रकार पूर्व सरपंच सुरेश कुमार द्वारा पंचायती टयुबवैल के सामान खरीद व उसे लगवाने तथा पाईप लाईन बिछाने बारे खरीदें गये सामान की कीमत तथा पाईप लाईन बिछाने की मजदूरी समेत कुल खर्च 14,66,023/ रुपये रिकार्ड अनुसार खर्च होने दिखाये है। जो उप मण्डल अभियन्ता रा0चौ0ब्यूरो (ह0) पंचकुला व कृषि इंजीनियर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (ह0) पंचकुला की टयुबवैल व पाईप लाईन सम्बन्धित रिपोर्ट में व ग्राम पंचायत मोहला के रिकार्ड में 5,35,539 / रुपये का भारी अन्तर पाया गया है। पूर्व सरपंच सुरेश कुमार द्वारा उपरोक्त कार्य का पूर्ण इन्द्राज एम0बी0 में भी दर्ज नहीं करवाया गया व खण्ड के उप मण्डल अभियन्ता से किसी भी बिल का सत्यापन नहीं करवाया व पैनल के जे0ई0 रामकुमार को उसका मेहनताना भी नहीं दिया गया तथा उक्त सरपंच द्वारा इस प्रकार पूर्व सरपंच सुरेश कुमार ग्राम पंचायत मोहला द्वारा पंचायती टयुबवैल लगाने व टयुबवैल से गांव तक तथा आगे गांव की गलियों में पाईप लाईन बिछाने के कार्य में कुल 5,35,539 /- तथा संजय पुत्र श्री रिछपाल से मिलिभगत व झालसाजी करके उसको झुठा पम्प ऑपरेटर दिखाकर 1,68,000- रुपये का पंचायत के खाते से निकाला हैं। इस प्रकार कुल 703539/- रुपये का गबन किया हैं। पड़ताल के दौरान पाया गया कि एच0आर0डी0एफ0 स्कीम से सुर्या कंकरीट इंटरलॉकिंग ब्लाकस मैटिरियल सप्लायर हांसी से बिल नंबर 32 दिनांक 20.11.2012 अनुसार निर्माण सामग्री 2,39,599 - रुपये की खरीद की गई जिसकी अदायगी बैंक नं0 007883 अनुसार कुल 2,39,599 रुपये इलाहबाद बैंक हांसी के माध्यम से की गई जो अदायगी सही की जानी पाई गई है परन्तु केश बुक में इन्द्राज 3,39,599 - रुपये का किया गया है। तत्कालीन सेवानिवृत्त ग्राम सचिव महेन्द्र सिंह के कथनानुसार जो इन्द्राज 2,39,599 की जगह 3,39,599 रुपये का किया है वह एच0आर0डी0एफ0 स्कीम का है जो कलैरिकल गलती रही है क्योंकि बैंक में बैंक फर्म को 2,39,599- रुपये का ही दिया गया है। जिस कारण 10/2012 से 12/2013 के गौस्वारा में पूर्व सरपंच सुरेश कुमार की तरफ case in hand:- 4,27,547- रुपये आना चाहिये था परन्तु 1,00,000- रुपये उपरोक्त बिल की राशि केश बुक में ज्यादा इन्द्राज दिखाने कारण सरपंच की तरफ केश बुक में case in hand :- 3,27,547- रुपये दिखाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि यह एक लाख रुपया सरपंच की तरफ उसी दिन (10/2012) से बकाया है। यहां यह भी विदित है कि सरपंच केवल 25,000- रुपये case in hand रख सकता है। जबकि वास्तव में सरपंच की तरफ 10/2012 से 12/2013 तक के गौस्वारा में 4,27,547- रुपये case in hand बनता है परन्तु तत्कालीन ग्राम सचिव की गलती से यह case in hand 3,27,547- रुपये दिखाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम सचिव महेन्द्र सिंह द्वारा की गई लिपिकीय गलती की वजह से पूर्व सरपंच सुरेश कुमार एक लाख रुपये अपने पास रखने में सफल रहा। जिसने बदनियती से सरकारी धन का गबन किया है। इसके अतिरिक्त गांव के अन्य टयुबवैल पर जगदीश पुत्र बारूराम को फर्जी व झूठा ऑपरेटर दिखाकर जनस्वास्थ्य विभाग से ऑपरेटर के नाम पर प्राप्त राशि की झूठी व फर्जी रसीदें उक्त जगदीश के नाम बनाकर 4,30,000/- रुपये के सरकारी धन का गबन किया जना पाया गया। जांच उपरान्त पूर्व सरपंच सुरेश कुमार ग्राम पंचायत मोहला व संजय पुत्र रिछपाल उर्फ पाला के विरुद्ध धारा 120 बी ,409,467,468,471,420 भा0द0स0 व 13(1)(सी) (डी) r/w 13 (2) PC ACT के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव तथा तफतीश के दौरान यदि किसी अन्य की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी मुकदमा में शामिल कर लिया जाने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला भेजी गई। परिक्षणोपरान्त महानिदेशक रा0 चौ0. ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा पत्र क्रमांक 3035/आई-3 /रा0 चौ0 ब्यूरो0 (ह0) दिनांक 25.02.2022 के अनुसार जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के प्र0क्र0 61/57/2017-2 चौकसी -II दिनांक 07.06.2022 की अनुपालना महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 9267/आई-3/एस0वी0बी0 (एच) दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पूर्व सरपंच सुरेश कुमार ग्राम पंचायत मोहला व संजय पुत्र रिछपाल उर्फ पाला के विरुद्ध धारा 120 बी ,409,467,468,471,420 भा0द0स0 व 13(1)(सी)(डी) r/w 13 (2) PC ACT के तहत अभियोग अंकित (तत्कालीन प्रचलित कानून के प्रावधानानुसार) के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त होने पर तहरी हजा बराये दर्ज करने अभियोग, जांच क्रमांक 02 दिनांक 06.09.2017 हिसार की 8 फाईलें आपके पास भेजी जा रही हैं। अभियोग अंकित करके अभियोग फाईल, असल तहरीर, मय जांच 02 दिनांक 06.09.2017 हिसार की 8 फाईलें की 4 फाईलें बराये करने अनुसंधान निजद निरीक्षक धर्मवीर राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार भिजवाई जावें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक/ईमेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक हिसार तथा अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे।SD Abhey (अभय सिंह), निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार।दिनांक 29.06.2022 अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा बजुर्म दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल मय असल लेख मय आमदा रिकार्ड कुल 8 फाईलें की 4 फाईलें बराये तफतीश निजद निरीक्षक धर्मवीर राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार के पास भेजी जा रही हैं। नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब हिसार व पुलिस अधीक्षक हिसार को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Dharmvir Singh Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 30HAP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Dharamvir Singh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): HAP/30

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)